



मैयालाल पुत्र बलदेव प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम वनकुंडिया तहसील हुजूर  
जिला रीवा (मोप्र०)

आवेदक / रिक्विसीशन

बनाम

1. मोप्र० शासन जरिये कलेक्टर,
2. जगन्नाथ प्रसाद तिवारी पुत्र स्व० मनकामना प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम

वनकुंडिया तहसील हुजूर जिला रीवा (मोप्र०) अनावेदकगण

दाख आज हि 7-2-14 को

प्रस्तुत

पुनर्विलोकन विरुद्ध निगरानी प्रकरण क्र०

2239 / III / 2013 में पारित आदेश दिनांक

13.01.2014 माननीय राजस्व मण्डल

ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

अन्तर्गत धारा 51 मोप्र० भू-राजस्व संहिता

1959

मान्यवर,

पुनर्विलोकन के आधार निम्न है :-

1. यह कि माननीय न्यायालय के समक्ष आनावेदक क्र० 2 / निगराकार द्वारा तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण क्र० 67-अ-74 / 09-010 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2013 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई ऐसी स्थिति में प्रकरण के न्यायिक निराकरण में माननीय न्यायालय को तहसीलदार हुजूर के कथित आदेश के संदर्भ में ही

मैयालाल

सं.

सिंगृ 470-IV / 14.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अदि आदि के हस्ता:
14-5-15	<p>आवर्द भी ठेके के लिए-उत्तमता नहीं। कई प्रश्नों के आवर्द अल्पावधि उपलब्ध नहीं हैं। आवर्द भी सात्र-काम आवाहन लाभ गाड़ी परन्तु कोई उपलब्धता नहीं। आवर्द के अन्यथा उपरांत भी उपलब्धता रहने के मात्र मुक्ति आवर्द फ्रेजर नहीं उपलब्ध है। यहाँ बाहर नहीं, यहाँ बाहर नहीं है।</p> <p style="text-align: right;">O संस्कृत</p>	